

आयकर नियम, 1962

फॉर्म नं. 15G

[धारा 197 A(1), 197A(1A) और नियम 29CJ देखें]

धारा 197A(1) और धारा 197A(1A) के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म न हो) द्वारा कर की कटौती के बिना कुछ आय का दावा करने हेतु घोषणा

भाग I

1. निर्धारिती का नाम (घोषणाकर्ता)		2. निर्धारिती का पैन ¹		
.. स्थिति		. पिछले वर्ष (P.Y.) ³ (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)		5. आवासीय स्थितियाँ ⁵
6. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	7. परिसर का नाम	8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/स्थान	
10. कस्बा/शहर/जिला	11. राज्य	12. पिन	13. ईमेल	
14. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नंबर	15 (क) क्या आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर का आकलन किया गया है 1961: ⁵ हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (ख) यदि हां, तो नवीनतम आकलन वर्ष जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है			
16. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है		17. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 16 में उल्लिखित आय शामिल की जानी है ⁶		
18. पिछले वर्ष के दौरान भरे किए गए इस फॉर्म के अलावा फॉर्म नंबर 15G का विवरण, यदि कोई हो, ⁷				
भरे गए फॉर्म नंबर 15G की कुल संख्या		आय की कुल राशि जिसके लिए फॉर्म नंबर 15G भरे गए हैं		
19. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा भरी गई है				
क्रम संख्या	संबंधित निवेशकों/खाते आदि की पहचान संख्या ⁸	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अंतर्गत कर कटौती योग्य है	आय की राशि

.....
घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा/सत्यापन

*मैं/हम..... एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सच है।

*मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस फॉर्म में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है।

*मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि कॉलम 16 में संदर्भित *आय/आय सहित मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय पर कर * और कॉलम 18 में संदर्भित *आय की कुल राशि की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त पिछले वर्ष के लिए संबंधित आकलन वर्ष के लिए गणना की गई है, शून्य होगा।

*मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि कॉलम 16 में संदर्भित *मेरी/हमारी* आय और आकलन वर्ष के संबंध में को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए कॉलम 18 में संदर्भित आय की कुल राशि उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

स्थान :

.....

दिनांक :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग II

[भाग I के कॉलम 16 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए]

1. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	2. यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. ¹¹	
3. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पैन	4. पूरा पता	5. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का टैन
6. ईमेल	7. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	8. भुगतान की गई आय की राशि ¹²
9. वह तिथि जब घोषणा प्राप्त हुई (DD/MM/YYYY)	10. वह तिथि जब आय का भुगतान/जमा किया गया है (DD/MM/YYYY)	

स्थान:

दिनांक:

.....

भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

1. धारा 206AA (2) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 197A (1) या 197A (1A) के अंतर्गत घोषणा अमान्य होगी, यदि घोषणाकर्ता अपना मान्य स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
2. धारा 197A(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति और धारा 197A(1A) के अंतर्गत व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है।
3. वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।
4. कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय स्थिति का उल्लेख करें।
5. कृपया "हाँ" लिखें यदि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का आकलन किया गया है, तो उस वर्ष से पिछले छह मूल्यांकन वर्षों में से किसी के लिए जिसमें घोषणा दायर गई है।
6. कृपया पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा दायर की गई है, जिसमें आय की राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।
7. यदि पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दायर करने से पूर्व फॉर्म नंबर 15जी में कोई घोषणा दायर की जाती है, तो ऐसे फॉर्म नंबर 15जी की कुल संख्या के साथ आय की कुल राशि का उल्लेख करें, जिसके लिए उक्त घोषणा दायर की गई है।

8. शेयरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
9. उस क्षमता को दर्शाएं जिसमें एचयूएफ, एओपी, आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई है।
10. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को स्वयं पुष्टि करनी चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और दोषसिद्धि पर दंडनीय होगा।
11. ऐसे मामले में जहाँ कर चोरी पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहाँ जुर्माने सहित कठोर कारावास का दंड होगा और यह कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और इसे सात वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;
12. किसी अन्य मामले में, जुर्माने सहित कठोर कारावास, जो तीन महीने से कम नहीं होगा, और जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
13. भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वित्तीय वर्ष की एक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नंबर 15G को एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. आवंटित करेगा और इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 का 31A(4)(vii) में निर्धारित विवरणों के साथ करेगा। यदि व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर 15H भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर 15G और फॉर्म नंबर 15H के लिए क्रम संख्या की अलग-अलग श्रृंखला आवंटित करें।
14. भाग I के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां उप-धारा में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि का उल्लेख है
15. या धारा 197A की उप-धारा (1A) या पिछले वर्ष के दौरान जमा की गई या भुगतान की गई या जमा की जाने वाली ऐसी आय की राशि का कुल योग जिसमें ऐसी आय को शामिल किया जाना है, अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। पात्रता तय करने के लिए, उसे आय या आय की कुल राशि, जैसा भी स्थिति हो, कॉलम 16 और 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट को सत्यापित करना आवश्यक होगा।

1फॉर्म नंबर 15H

[धारा 197A(1C) और नियम 29C देखें]

धारा 197A(1C) के अंतर्गत घोषणा, यह फॉर्म ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाना चाहिए जो साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है और कर की कटौती के बिना कुछ आय का दावा करता है।

भाग I

1. निर्धारिती का नाम (घोषणाकर्ता)		2. निर्धारिती का स्थायी खाता संख्या या आधार नंबर ¹		3. जन्म तिथि ² (DD/MM/YYYY)	
4. पिछले वर्ष (P.Y.) ³ (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)		5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.		6. परिसर का नाम	
7. सड़क/गली/लेन		8. क्षेत्र/स्थान		9. कस्बा/शहर/जिला	
11. पिन		12. ईमेल		13. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	
14 (क) क्या कर का आकलन किया गया है ⁴ :				हाँ	नहीं
(ख) यदि हां, तो नवीनतम निर्धारण वर्ष जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है					
15. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है					
16. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 15 में उल्लिखित आय को शामिल किया जाना है ⁵					
17. पिछले वर्ष के लिए भरे गए इस फॉर्म के अलावा फॉर्म नंबर 15H का विवरण, यदि कोई हो ⁶					
भरे गए फॉर्म नंबर 15H की संख्या			फॉर्म नंबर 15H को भरने के लिए किया गया आय की कुल राशि		
18. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दायर की गई है					
क्रम संख्या	संबंधित निवेश/खाते आदि का आईडेंटिफिकेशन नं. ⁷	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अंतर्गत कर कटौती योग्य है	आय की राशि	

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

1. इसे आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा 1-10-2015 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया है।
इससे पहले, प्रपत्र संख्या 15H को आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 द्वारा 21-6-1982 से प्रभावी, आयकर
(पांचवां संशोधन) नियम, 1989 द्वारा 1-4-1988 से प्रभावी, आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990 द्वारा 20-

11-1990 से प्रभावी, आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 1992 द्वारा 1-6-1992 से प्रभावी और आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1995 द्वारा 1-10-2015 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था। 1-7-1995, आईटी (बत्तीसवां संशोधन) नियम, 1999, दिनांक 19-11-1999 से प्रभावी, आईटी (बारहवां संशोधन) नियम, 2002, दिनांक 21-6-2002 से प्रभावी, आईटी (आठवां संशोधन) नियम, 2003, दिनांक 9-6-2003 से प्रभावी, आईटी (चौदहवां संशोधन) नियम, 2003, दिनांक 1-8-2003 से प्रभावी और आईटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2013, दिनांक 19-2-2013 से प्रभावी।

घोषणा/सत्यापन⁸

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थ में भारत का निवासी/निवासी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त दिया गया कथन सत्य, पूर्ण और सही है तथा इस प्रपत्र में उल्लिखित आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी अनुमानित कुल आय पर कर, जिसमें *कॉलम 15 में उल्लिखित आय* और *कॉलम 17 में उल्लिखित आय* की कुल राशि शामिल है, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए, जो निर्धारण वर्ष से संबंधित है, शून्य होगा।

स्थान:

.....

दिनांक:

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग II

[भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए]

1. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम	2. यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. ⁹	
3. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या या आधार नंबर	4. पूरा पता	5. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का टैन
6. ईमेल	7. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	8. भुगतान की गई आय की राशि ¹⁰
9. घोषणा प्राप्त होने की तिथि (DD/MM/YYYY)	10. वह तिथि जिस पर आय का भुगतान/जमा किया गया है (DD/MM/YYYY)	

स्थान:

दिनांक:

.....

भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

1. धारा 206AA (2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि घोषणाकर्ता अपना मान्य स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो धारा 197A(1C) के अंतर्गत घोषणा अमान्य होगी।
2. घोषणा एक निवासी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है।
3. वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित हो ।
4. कृपया "हाँ" लिखें, यदि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर का आकलन किया जाता है, तो उस वर्ष से पहले छह मूल्यांकन वर्षों में से किसी के लिए जिसमें घोषणा दायर की गई है।
5. कृपया पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा दायर की गई है, जिसमें उस आय की राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।

6. यदि पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दायर करने से पूर्व फॉर्म नंबर 15H में कोई घोषणा दायर की जाती है, तो ऐसे फॉर्म नंबर 15H की कुल संख्या के साथ आय की कुल राशि का उल्लेख करें, जिसके लिए उक्त घोषणा दायर की गई है।
7. शेयरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
8. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को स्वयं यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और दोषसिद्धि पर दंडनीय होगा-
 - i) ऐसे मामले में जहाँ कर चोरी पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहाँ जुर्माने सहित कठोर कारावास का दंड होगा और यह कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और इसे सात वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;
 - ii. किसी अन्य मामले में, जुर्माने सहित कठोर कारावास, जो तीन महीने से कम नहीं होगा, और जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
9. भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वित्तीय वर्ष की एक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नं. 15H को एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नं. आवंटित करेगा और आयकर नियमों के नियम 31A(4)(vii) में निर्धारित विवरणों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा, 1962 में उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में कहा गया है, यदि व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर 15G भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर 15H और फॉर्म नंबर 15G के लिए क्रमांक सं. की अलग-अलग श्रृंखला आवंटित करें।
10. भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197A(1C) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि या पिछले वर्ष के दौरान जमा की गई या भुगतान की गई या जमा की जाने वाली ऐसी आय की राशि का कुल योग जिसमें ऐसी आय को शामिल किया जाना है, अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है। अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने के बाद, यदि कोई हो, या "घर की संपत्ति से आय" शीर्षक के अंतर्गत हानि, यदि कोई हो, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र है। पात्रता तय करने के लिए, उसे आय या आय की कुल राशि, जैसा भी स्थिति हो, कॉलम 15 और 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई जांच करनी होगी।
11. 1[बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में घोषणा को स्वीकार करेगा जहां निर्धारित की आय, जो धारा 87A के अंतर्गत आयकर की छूट के लिए पात्र है, उस आय से अधिक है जिसके लिए

इस नोट के अनुसार घोषणा स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उक्त धारा 87A के अंतर्गत उसे उपलब्ध छूट को ध्यान में रखने के बाद उसकी कर देयता शून्य होगी।

फॉर्म नंबर 10F

[नियम 21AB का उप-नियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 की उप-धारा (5) या धारा 90A की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जानकारी

में..... श्री का पुत्र/पुत्री,
(पदनाम) के रूप में, धारा 90/धारा 90A की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, पिछले वर्ष से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता/करती हूँ:-

क्रम सं.	सूचना की प्रकृति	:	विवरण s#
(i)	निर्धारिती की स्थिति (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म आदि)	:	
(ii)	यदि आवंटित किया जाता है तो निर्धारिती का स्थायी खाता संख्या या आधार कार्ड नंबर	:	
(iii)	राष्ट्रीयता (किसी व्यक्ति के मामले में) या देश या इनकॉर्पोरेशन या पंजीकरण का निर्दिष्ट क्षेत्र (अन्य मामले में)	:	
(iv)	देश या निवास के निर्दिष्ट क्षेत्र में निर्धारिती का कर आईडेंटिफिकेशन नम्बर और यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो एक यूनिक नम्बर जिसके आधार पर व्यक्ति की पहचान देश की सरकार या निर्दिष्ट क्षेत्र द्वारा की जाती है, जिसके बारे में निर्धारिती निवासी होने का दावा करता है	:	
(v)	वह अवधि जिसके लिए धारा 90 की उप-धारा (4) या धारा 90A की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में उल्लिखित आवासीय स्थिति लागू होती है	:	
(vi)	उस अवधि के दौरान भारत के बाहर देश या क्षेत्र में निर्धारिती का पता जिसके लिए उपरोक्त (v) में उल्लिखित प्रमाण पत्र लागू होता है	:	

2. धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90A की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र
(भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र का नाम) सरकार से प्राप्त किया हो।

हस्ताक्षर:

नाम :

पता:

स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त बताई गई बातें सही, पूर्ण और सत्य हैं।

आज दिनांक को सत्यापित किया गया.....

.....
सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

टिप्पणियाँ :

1. *जो भी लागू न हो उसे हटा दें.
2. #लागू नहीं लिखें, यदि संबंधित जानकारी धारा 90 की उप-धारा (4) या धारा 90A की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र का भाग है।

<कंपनी का लेटर हेड>

दिनांक:

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हडको भवन, कोर - 7 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोलियो नंबर:

यह प्रमाणित करने के लिए है कि

1. <कंपनी का नाम>, एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसे <देश का नाम > <देश का नाम उल्लेख करें> के कानूनों के अंतर्गत इन्कॉर्पोरेट और पंजीकृत किया गया है।
2. हम, <<शेयरधारक का नाम>>, पुष्टि करते हैं कि हम <<देश का नाम लिखें>> के कर निवासी हैं और भारत-<<देश का नाम लिखें>> दोहरे कराधान निवारण समझौते (DTAA) के लाभों का दावा करने के पात्र हैं, साथ ही बहुपक्षीय इन्स्ट्रूमेंट (MLI) में निर्धारित प्रावधानों का भी, जहाँ भी लागू हो।
3. <प्राधिकरण का नाम> द्वारा जारी किया गया हमारा टैक्स आईडेंटिफिकेशन नम्बर <नम्बर लिखें> है।
4. हम, <<शेयरधारक का नाम>>, उपरोक्त फोलियो संख्या में आवंटित शेयरों के साथ-साथ ऐसी शेयरधारिता से प्राप्त लाभांश के लाभकारी स्वामी हैं।
5. मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि मुझे/हमें उपरोक्त शेयरों से प्राप्त/प्राप्त होने वाले लाभांश का उपयोग करने और उसका लाभ उठाने का अधिकार है और ऐसा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश हस्तांतरित करने के किसी भी संविदात्मक और/या कानूनी दायित्व से बाधित नहीं है।
6. भारत में हमारा कोई स्थायी प्रतिष्ठान (पी.ई.) नहीं है, या आयकर अधिनियम, 1961 और भारत तथा <देश का नाम> के बीच हुए डीटीएए के अनुसार, जहाँ भी लागू हो, बहुपक्षीय इन्स्ट्रूमेंट (MLI) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष <<<वर्ष>>> के दौरान हमारे द्वारा अर्जित लाभांश आय का भारत में स्थित हमारे स्थायी प्रतिष्ठान से कोई सीधा संबंध नहीं है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार भारत में हमारा कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। यदि भारत में हमारा कोई स्थायी संस्थान है या लाभांश आय का ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान से सीधा संबंध है, तो हम आपको आवश्यक विवरणों के साथ तुरंत सूचित करने के अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं।

हम हडको लिमिटेड को कंपनी द्वारा हमारे उपरोक्त कथन पर विश्वास करते हुए किए गए किसी भी कृत्य या चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंडात्मक परिणाम के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

< नाम का कंपनी > के लिए

नाम <अधिकृत व्यक्ति का नाम लिखें>

<पदनाम लिखें>

दिनांक :

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हडको भवन, कोर - 7ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोलियो संख्या:

यह प्रमाणित करने के लिए है कि

1. मैं, << शेयरधारक का नाम >>, पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं <<देश का नाम लिखें>> का कर निवासी हूँ और भारत-<<देश का नाम लिखें>> दोहरे कराधान निवारण समझौते (डीटीएए) के लाभों का दावा करने का पात्र हूँ, साथ ही बहुपक्षीय इन्स्ट्रूमेंट (एमएलआई) में दिए गए प्रावधानों का भी, जहाँ भी लागू हो।
2. <प्राधिकरण का नाम> द्वारा जारी किया गया मेरा टैक्स आईडेंटिफिकेशन नम्बर है <नम्बर लिखें>
3. मैं उपरोक्त फोलियो संख्या में आवंटित शेयरों का और साथ ही उन शेयरों से प्राप्त होने वाले लाभांश का लाभकारी स्वामी हूँ।
4. मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त शेयरों से प्राप्त/प्राप्त होने वाले लाभांश का उपयोग करने और उसका लाभ उठाने का अधिकार है और ऐसा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश हस्तांतरित करने के किसी भी संविदात्मक और/या कानूनी दायित्व से बाधित नहीं है।
5. आयकर अधिनियम, 1961 और भारत तथा <देश का नाम> के बीच हुए डीटीएए के अंतर्गत परिभाषित भारत में मेरा कोई स्थायी संस्थान (पी.ई.) या कोई निश्चित आधार नहीं है, जहाँ भी लागू हो, वित्तीय वर्ष <<<वर्ष>>> के दौरान, यदि मेरा भारत में कोई स्थायी संस्थान या निश्चित आधार होता है, तो मैं आपको आवश्यक विवरणों के साथ तुरंत सूचित करने के अपने दायित्व को स्वीकार करता/करती हूँ।

मैं उपरोक्त कथन पर विश्वास करते हुए कंपनी द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले किसी भी दंडात्मक परिणाम के लिए हडको लिमिटेड को क्षतिपूर्ति देने का वचन देता हूँ।

धन्यवाद,

भवदीय,

नाम: